दिनांक 10.11.2018 को जिलाधिकारी, औरंगाबाद की अध्यक्षता में आयोजित चयन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति: पंजी पर

कार्यवाही:— बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम उपस्थित सदस्यों को तकनीकी सहायक एवं लेखापाल—सह—आई.टी. सहायकों के नियोजन हेतु विभाग से प्राप्त मेधा सूची का अवलोकन करने का निदेश दिया गया। बताया गया कि इस जिले में उपरोक्त दोनों पदों हेतु 51—51 पद अनुमान्य है तथा इन पदों पर नियोजन हेतु आरक्षण कोटिवार रिक्ति निम्न प्रकार है—

अनारक्षित—	25 (पुरूष— 16 एवं महिला—9)
अत्यन्त पिछड़ाव वर्ग—	9 (पुरूष— 6 एवं महिला—3)
अनुसूचित जाति—	8 (पुरूष— 5 एवं महिला—3)
पिछड़ा वर्ग—	6 (पुरूष— 4 एवं महिला—2)
अनुसूचित जनजाति—	1 (पुरूष—1 एवं महिला—0)
पिछड़ा वर्ग की महिला—	2
कुल—	51

प्राप्त निदेश के अनुसार उपरोक्त रिक्तियों में से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 2 पद एवं स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए 1 पद अनुमान्य है। ये पद क्षैतिज आरक्षण के रूप में दिया जाना है। इसके अतिरिक्त तकनीकी सहायकों के मामले में प्रत्येक कोटि में राज्य सरकार के पॉलिटेकनिक संस्थानों से डिप्लोमा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत पद आरक्षित है। तकनीकी सहायकों के लिए कांउन्सलिंग की तिथि दिनांक 17.11.2018 को निर्धारित है तथा लेखापाल—सह—आई.टी.सहायक के पद के लिए दिनांक 20.11.2018 की तिथि निर्धारित है। प्राप्त निदेश के अनुसार काउंसलिंग हेतु कोटिवार दो गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाना है।

मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत् है—

तकनीकी सहायक—	722
लेखापाल—सह—आई.टी.सहायक—	1859

जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने बताया कि उपरोक्त दोनों पदो के लिए कोटिवार दो गुना अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गयी है। उन्होंने सूची को उपस्थापित करते हुए अवलोकन करने का अनुरोध किया। सदस्यों द्वारा उक्त सूची का अवलोकन किया गया तथा संतुष्ट होने के उपरांत सूची को अनुमोदित करते हुए सूची में अंकित अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग हेतु बुलाने का निर्णय लिया गया। सूची अनुलग्नक—***अ(तकनीकी सहायक) एवं ब(लेखापाल—सह—आई.टी.सहायक)*** पर संलग्न है।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने यह भी बताया कि अभ्यर्थियों को उनके निबंधित मोबाईल नं0 एवं ई.मेल.आई.डी. पर कांउन्सलिंग की सूचना देने का प्रावधान विभाग के साईट पर किया गया है। अतः निर्णय लिया गया कि सूची में शामिल अभ्यर्थियों को कांउन्सलिंग की सूचना उनके निबंधित मोबाईल संख्या एवं ई.मेल.आई.डी. से दी जाए। इस हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, औरंगाबाद को प्राधिकृत किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इस सूची को जिला के अधिकारिक वेब साईट पर अपलोड करते हुए इसकी सूचना समाचार पत्रों में भी दी जाए। समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित कराने की जिम्मेवारी जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, औरंगाबाद को दी गयी।

काउंसलिंग हेतु छः दलों का गठन करते हुए उसमें कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। निर्णय लिया गया कि कर्मियों को समय पूर्व कांउसलिंग की प्रक्रिया से अवगत करा दिया जाएगा तथा उन्हें आवश्यक कागजात यथा चेक लिस्ट इत्यादि काउंसलिंग की तिथि को योजना भवन, औरंगाबाद में उनके निर्धारित स्थल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

108

जिलाधिकारी
औरंगाबाद।

ज्ञापांक 1463 पं0, दिनांक 10/11/2018

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: चयन समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

10-11-18

जिलाधिकारी
औरंगाबाद।

d:doeo/acp proceeding